



म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)
नर्मदा भवन, 'सी विंग', द्वितीय तल, 59 अरेरा हिल्स, भोपाल
Ph. 0755-2551487 Fax 2550094

क्रमांक / 5751 / PA/MGNREGS-MP/2016

भोपाल, दिनांक 24 जून, 2016

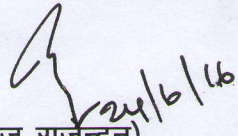
प्रति,

1. संभागायुक्त
शहडोल संभाग, शहडोल
2. कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम-म.प्र.,
शहडोल, अनूपपुर एवं उमरिया (मध्य प्रदेश)

विषय:- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की हितग्राहीमूलक योजनाओं का समयावधि में क्रियान्वयन।

कृपया संलग्नक का अवलोकन करने का कष्ट करें जो मा. मुख्य मंत्रीजी के कार्यालय से प्राप्त हुआ है, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत भुगतान समय-सीमा में किये जाने के निर्देश हैं तथा जिले के अन्तर्गत जो अति महत्वपूर्ण कार्य छूटे हैं, इस संदर्भ में महात्मा गांधी नरेगा योजना या अन्य योजना अन्तर्गत नियम-निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की आवश्यकता है। तदनुसार कार्यवाही करते हुए प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सूचित करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार


(रघुराज राजेन्द्रन)

आयुक्त

म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद

ग्रामीण विकास

1. पेंशन तथा अन्य भुगतान गांवों में सुचारु रूप से नहीं हो रहे हैं। इस बिन्दु को निराकृत करने की कार्यवाही की जाए।

2. मनरेगा का भुगतान, इंदिरा आवास की द्वितीय किस्त इत्यादि सभी हितग्राहियों दिया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3. जिलान्तर्गत जो अतिमहत्वपूर्ण कार्य छूटे हैं जैसे दो गांवों को जोड़ने वाली पुलिया, सड़क, महत्वपूर्ण संस्थाएँ। ऐसे कार्यों का चिन्हांकन कर विस्तृत प्राक्कलन के साथ संबंधित विभाग को प्रस्ताव जिला कलेक्टर भेजेंगे तथा सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रतिलिपि दी जाय।